"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8860/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 27 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु विधेयक,

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक के खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(छः) किसी विद्युत उत्पादन कंपनी जिसमें राज्य शासन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशधारिता हो, द्वारा उपभोग या उपयोग की गई अथवा राज्य शासन के स्वामित्व की वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेची या प्रदाय की गई विद्युत के संबंध में कोई ऊर्जा विकास उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण—

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु सरकारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में अंशधारिता राज्य शासन की अंशधारिता मानी जाएगी.

2. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (17) में है.

3. "उत्पादन कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है.

4. "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (31) में है."

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं ट्रेडिंग तथा होल्डिंग कंपनी में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से पृथक कंपनियों में पुनर्गठित हो गया है. तद्नुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 की सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) बन गया है, जिससे राज्य के पावर सेक्टर में बदलाव आया है. तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से ऊर्जा विकास उपकर उद्ग्रहित करना प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कपंनी लिमिटेड को, की जा रही विद्युत आपूर्ति दर में भी वृद्धि हो रही है.

विद्युत आपूर्ति दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव उपभोक्ता दर पर पड़ता है अत: उपभोक्ता को राहत देने हेतु, किसी ऐसी उत्पादन कंपनी को, जिसमें शासन की कम से कम 26 प्रतिशत इक्वीटी (अंशधारिता) हो, उसके द्वारा शासन के स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनी को बेची गई विद्युत यूनिटों पर, ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट देना प्रस्तावित है. अतएव, छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) में संशोधन करना आवश्यक है.

रायपुर
दिनांक 15 जुलाई, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा एक का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

3 (1) धारा-4 में विशिष्टीकृत अपवादों के अध्ययीन रहते हुए विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक विहित समय पर और विहित तरीके से कुल विद्युत ऊर्जा, जो किसी उपभोक्ता को बेची गई हो अथवा उसके द्वारा स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, पर प्रतिमाह, दस पैसा प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगा;

ऊर्जा विकास उपकर को अधिरोपित करना

परंतु ऐसी किसी विद्युत ऊर्जा पर कोई उपकर भुगतान देय नहीं होगा, जो—

(एक) (क) भारत सरकार को उपभुक्त की जाने हेतु प्रदाय की गई हो या बेची गई हो;

अथवा

(ख) किसी रेल कंपनी के, जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, संनिर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(दो) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (सन् 1961 का क्रमांक 17) के अधीन पंजीकृत किसी ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसाइटी को थोक में बेची या प्रदाय की गई हो,

(तीन) घरेलू बीपीएल कनेक्शन उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो,

(चार) निःशुल्क विद्युत उपभोग की विहित सीमा तक पात्र कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता को कृषक जीवन ज्योति योजना अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित को समान प्रयोजन की किसी योजना के अंतर्गत विक्रय या प्रदाय की गई हो,

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अंतर्गत पात्र इकाई/उद्यमी/विकासकर्त्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो,

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के निमित्त "माह" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जो विहित की जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.